प्रेस नोट - दिनांक 14.11.2024

थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव।

हत्या के प्रयास के तीन आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित तीन अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10.11.2024 को वादी श्री लालता प्रसाद पुत्र स्वर्गीय चेतराम निवासी ग्राम भटौली थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव द्वारा थाना बेहटा मुजावर पर तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 10.11.2024 को रात के नौ बजे घर के पीछे मेरा भाई रामपाल कुंए पर बैठा था। गाँव के अजीत पुत्र दयाराम, सुधीर पुत्र दुलम, यदुराई पुत्र कुन्हा निवासी गण भटौली थाना बेहटा मुजावर शराब पीकर मेरे भाई को गाली गलौज करने लगे। मेरे भाई द्वारा गाली गलौज करने से मना किया तो उक्त सभी लोगो ने मेरे भाई को जान से मारने की नियत से सिर में ईंट मार दी। जिससे मेरा भाई को गम्भीर चोटें आयी है तथा उक्त लोग जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 318/2024 धारा 109(1)/352/351(3) बी0एन0एस0 का 1. अजीत पुत्र दयाराम, 2. सुधीर पुत्र दुलम, 3. यदुराई पुत्र कुन्हा निवासी गण ग्राम भटौली थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र सिंह सम्पादित की जा रही है। साक्ष्य संकलन व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के क्रम में अभियुक्तगण 1. अजीत पुत्र दयाराम, 2. सुधीर पुत्र दुलम, 3. यदुराई पुत्र कुन्हा निवासी गण ग्राम भटौली थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव को आज दिनांक 14.11.2024 को ग्राम ब्यौली इस्लामाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.अजीत पुत्र दयाराम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम भटौली थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव
2.सुधीर पुत्र दुलम उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम भटौली थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव
3.यदुराई उर्फ रामसेवक उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम भटौली थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह
2. हे0का0 जितेन्द्र सिंह,
3. का0 मोहित कुमार,

प्रेस नोट - दिनांक 14.11.2024

थाना बेहटा मुजावर, जनपद उन्नाव ।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 08.11.2024 को मुकदमा वादिनी ने थाना बेहटा मुजावर पर तहरीरी सूचना दी कि मेरी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष 1 माह को कमल पुत्र बहादुर निवासी ग्राम छतरापुर कोलिया थाना बाँगरमऊ उन्नाव दिनांक 7.11.2024 को करीब 7.30 बजे शाम को घर से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है तथा भगाने में बहादुर पुत्र मोहन, गंगादेई पत्नी बहादुर, पिन्टू, बबलू पुत्र गण बहादुर नि0 छतरापुर कोलिया ने मदद की है तथा पुत्री के साथ में माल जेवर भी ले गयी है । वादिनी की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 310/2024 धारा 137(2)/87/61(2)(a) BNS में विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता को दिनांक 11.11.2024 को बरामद करते हुये मेडिकल परीक्षण व माननीय न्यायालय के समक्ष कथन अंतर्गत 183 BNSS में अंकित कराये गये। पीड़िता/अपहृता के कथन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 BNS व व 5j(2)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी । साक्ष्य सकंलन की कार्यवाही के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कमल पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम कोलिया मजरा छतरापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष को आज दिनांक 14.11.2024 को थाना क्षेत्र के जोगीकोट अंडरपास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कमल पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम कोलिया मजरा छतरापुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. व0उ0नि0 मोर मुकुट पाण्डेय
2. का0 प्रिंस कुमार

UNNAO POLICE

प्रेस नोट - दिनांक 14.11.2024

थाना अचलगंज, जनपद उन्नाव ।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 12.11.2024 को मुकदमा वादी द्वारा थाना अचलगंज पर तहरीरी सूचना दी गई कि मेरे पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष के साथ सफीक पुत्र अयूब उर्फ ललऊनू नि0 ग्राम बन्थर थाना अचलगंज उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष के द्वारा मेरी पुत्री के साथ छेड़खानी की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 351/24 धारा 74/351(3) बीएनएस 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम सफीक उपरोक्त पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। आज दिनांक 14.11.2024 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त सफीक उपरोक्त को बदरका पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सफीक पुत्र अयूब उर्फ ललऊनू नि0 ग्राम बन्थर थाना अचलगंज उन्नाव उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण द्विवेदी
2. का0 शिवम कुमार

प्रेस नोट - दिनांक 14.11.2024

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।

18 पौवा देशी शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 18 पौवा अवैध देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 14.11.2024 को प्र0नि0 श्री चंद्रकान्त मिश्रा मय हमराह फोर्स द्वारा कस्बा न्योतनी से अभियुक्त आलोक पुत्र नरेश जायसवाल नि0मो0 नौवतगंज थाना बांगरमऊ, उन्नाव उम्र 22 वर्ष को 18 क्वार्टर देशी शराब दीवाना ब्राण्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0-280/24 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.आलोक पुत्र नरेश जायसवाल नि0मो0 नौवतगंज थाना बांगरमऊ, उन्नाव उम्र 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त के कब्जे से 18 क्वार्टर देशी शराब दीवाना ब्राण्ड शराब बरामद होना ।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त मिश्रा थाना हसनगंज,उन्नाव ।
2.उ0नि0 श्री शहीम खान थाना हसनगंज उन्नाव ।
3.का0 अमन यादव थाना हसनगंज उन्नाव ।
4.का0 विजय कुमार थाना हसनगंज उन्नाव ।